राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 2 (2)ग्रावि/अनु.:8/2014 जयपुर, दिनांक 10-01-2017

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की अध्यक्षता में दिनांक **4.1.2017 को** विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में निम्नानुसार निर्णय कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया:–

1. **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की समीक्षा** की गयी जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना के जिला स्तर/पंचायत स्तर/ग्राम पंचायत स्तर की सभी कमेटियों का गठन एवं सभी स्तर के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने एवं वर्ष 2016–17 के प्लान डाटाज की ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन लाईन किये जाने बाबत **संयुक्त सचिव (प्लान) द्वारा अवगत कराया गया।** मा0 मंत्री महोदय द्वारा पूछा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो मोबीलाईजर नियुक्त किये है, उसकी सूची क्या आप द्वारा रखी जा रही है और वर्ष 2016–17 के प्लान को आनलाईन डाटा एण्ट्री 31 मार्च, 2017 तक किये जाने का अब वर्ष के अंत में क्या औचित्य है।

   अ. सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना प्लान तैयार कर **31 जनवरी 2017 तक संबंधित वैबसाईट पर अपलोड** किया जाए।
   ब. GPDP में जिन कार्यो को समाहित किया जा रहा है उनका पंचायत समिति/जिला परिषद के स्तर पर **तकनीकी परीक्षण कराया जाए।**
   स. **वर्ष 2017–18 के लिए भी ग्राम पंचायत विकास योजना** में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2. प0 **दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शिविरों** की प्रगति की समीक्षा की गयी। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि–
   अ. **शिविर आयोजन से एक दिवस पूर्व** सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ विकास अधिकारी/ तहसीलदार को जाना चाहिए और शिविर आयोजन की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। अब तक आयोजित शिविरों में उपस्थित हुए अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की जाए।

ब. पंचायत शिविरों की सूचना का बैनर कम से कम **5–7 दिवस पूर्व लगाये जाये** जिससे ग्रामवासियों को शिविर की समुचित जानकारी उपलब्ध हो सके।

स. **आबादी भूमि के नियमितिकरण के पट्टे एवं रियायती दरों पर भूमि आवंटन के** पट्टों की प्रगति असंतोषजनक है। अतः **पट्टे जारी करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए**, इस संदर्भ में ग्राम पंचायत से यह प्रमाण पत्र लिया जाए कि उनके पास पट्टा जारी करने का कोई आवेदन लम्बित नहीं है। जिन ग्राम पंचायतों में शिविर अभी होने है उनमें यह अभियान शिविर आयोजन के साथ रख जाए तथा जिन ग्राम पंचायतों में शिविर हो चुके है उनमें विशेष अभियान चला कर पट्टे जारी कराये जाए।

द. जो ग्राम पंचायतें पट्टे जारी करने में अच्छा कार्य कर रही है उन्हें, एक जिले में 3 ग्राम पंचायतों को, पुरूष्कृत करने हेतु निर्देशित किया गया।

य. शिविरों के दौरान पैंशन की स्वीकृतियॉ जारी की जा रही है उनका निश्चित समय पर पीपीओ जारी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखे जाने के निर्देश प्रदान किए।

3. **हैंडपम्प/ट्यूबवैल पंचायतों में अबेन्डेन्ट** है उसकी सूचना पंचायतवार मंगवायी जाए एवं इनके पुनः प्रारम्भ करने/अन्तिम निस्तारण किया जाए।
4. **संभाग स्तर पर 2 दिवसीय समीक्षा बैठक** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, योजनाओं के प्रभारी एवं विकास अधिकारियों के साथ आयोजित की जाए। जिसमें प्रथम दिवस जनप्रतिनिधियों (जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच) को भी आमन्त्रित किया जाऐ। बैठक में योजनाओं की प्रगति, कार्यो की गुणवत्ता, लम्बित यूसी/सीसी पर विस्तृत चर्चा की जाए।
5. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज द्वारा जो **पदों की भर्ती** निकाली गयी थी माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय के उपरान्त पदों की भर्ती प्रकिया सुनिश्चित की जाए एवं पत्रावलियॉ निश्चित प्रकिया के तहत मा0 मंत्री महोदय के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।
6. **डांग, मगरा, मेवात एव बीएडीपी क्षेत्रीय विकास योजनाओं** की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी योजनाओं की चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः–

1. सभी योजनाओं में चालू एवं विगत वर्षो के स्वीकृत कार्यों में से **अप्रारम्भ कार्यो को 15 दिवस (20 जनवरी, 2017) तक प्रारम्भ कर दिये जाये**, इन कार्यो को प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में उन्हे निरस्त कर जिले से कार्य प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जावे।

2. विगत वर्षो के **अपूर्ण कार्यो को माह 31 मार्च 2017 तक** अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश जिलों को जारी करायें।
3. **1.04.2016 को प्रगति रिपोर्ट अनुरूप अवशेष की सीमा तक की राशि के समायोजन** एक माह **में** आवश्यक रूप से ब्लॉकवार कैम्प लगाकर पूर्ण करायी जाऐ। वांछित प्रगति न करने पर, अनावश्यक विलंम्ब करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कठोर कार्यवाही की जावे।
4. **आगामी दो वर्षो में डांग, मगरा, मेवात में** प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाये:–

(अ) उपलब्ध राशि में से **15 प्रतिशत राशि** तक के कार्य आवश्यक रूप से सरकारी परिसंम्पत्तियों के **मरम्मत एवं नवीनीकरण** पर किया जाये।

(ब) क्षेत्र में आने वाले गांवों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये **"मोडल विलेज विकसित"** किये जावे।

(स) क्षेत्र में एक ही प्रकार की गतिविधि यथा गांव में उद्यान का निर्माण स्कूलों में खेल मैदान, सुलभ शौचालय, श्मशान/ कब्रिस्तान का निर्माण एवं विकास, सौलर लाईट आदि के कार्य लेकर पूरे क्षेत्र को सेचुरेट किया जावें।

(द) उक्त के लिये **28 फरवरी 2017 तक जिलों से प्रस्ताव मंगवाये जायेगें** एवं जिन जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते है उनकी राशि, अन्य जिलों को स्वीकृत की जाये।

7. **मेवात योजना में अलवर जिले** के वर्ष 2016–17 के लिये **पूर्व में लिये गये निर्णय** के अनुसार प्रस्तावों को अनुमोदन किया जावेगा।
8. योजनावार निर्मित **परिसंम्पत्तियों को एक विशेष रंग में रंगाया जाना** सुनिश्चित किया जाये। समस्त परिसंम्पत्तियों पर कार्य का नाम, मय लागत व अन्य सूचनाओं को दर्शाया जाये।
9. **राज्य स्तर से अधिकारियों का एक दल गठित** कर जिले के कार्यो का औचक निरीक्षण किया जावें। यह दल कार्यो की गुणवत्ता व अनियमितताओं को फोकस करेगा।
10. कार्यो के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु **थर्ड पार्टी इन्सपेशन** दल, व अन्य कार्यो हेतु योजना की गाइड लाईन में रखे गये प्रावधानअनुसार 3 प्रतिशत राशि के व्यय करने के लिये वित्त विभाग से स्वीकृती बाबत पत्रावली माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से पुनः प्रस्तुत की जाये।
11. **स्वच्छ भारत मिशन** के तहत लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय वर्ष में शौचालय का निर्माण कर उनका **भुगतान** सुनिश्चित किया जाए एवं ग्राम पंचायतों को ठोस व तरल

प्रबन्धन के लिए प्रावधानोंनुसार परियोजनाऐं शीघ्र स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्मिकों को नियमित करने के संबंध में चर्चा हेतु अलग से बैठक रखी जाए।

10.1.17

(डा0 के.सी.कलाकार)
सहायक निदेशक (मूल्यांकन)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, चौपाल, रेल्वे स्टेशन, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महात्मा गांधी नरेगा।
8. परि. निदे. एवं उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा/एसएपी।/।।/मो. एवं मू.,।
9. अधीक्षण अभियन्ता, आवास, ग्रा.वि.विभाग।
10. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग।

10/01/2017

परियोजना अधिकारी(प्रशासन)
ग्रामीण विकास विभाग